भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 4/3/2016/एस डी आर दिनांक: 5 अप्रैल, 2016

सेवा में

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं
राज्यीय राजनीतिक दल।

विषय: निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान पोस्टरों/बैनरों का प्रयोग करने के लिए प्लास्टिक शीटों के उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण।

महोदय,

निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक के प्रयोग पर आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2006 के पत्र सं. 4/3/2006/जेएस-II, दिनांक 11 मार्च, 2004 के पत्र सं. 4/3/2004/जेएस-II/खण्डI, दिनांक 1 मई, 2003 के पत्र सं. 4/3/2003/जेएस-II/खण्ड-I एवं दिनांक 16 जुलाई, 1999 के पत्र सं. 4/3/99/जेएस-II की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है।

आयोग यह दोहराता है कि सभी राजनीतिक दलों को पर्यावरण सुरक्षा के हित में निर्वाचन अभियान के दौरान पोस्टरों, बैनरों इत्यादि को तैयार करने के लिए प्लास्टिक/पॉलीथीन और इनके समरूप गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के प्रयोग से परहेज करने का प्रयास करना चाहिए। कृपया आप अपने कैडर को उपयुक्त परामर्श दें।

सादर,

(अनुज जयपुरियार)
सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।